भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2766**

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**किसानों के लिए ऋण से संबंधित कार्यक्रम**

2766. श्री हुसैन दलवईः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए ऋण संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऋण संबंधी कई कार्यक्रमों को शुरू किए जाने के बावजूद ऋण बाजार अधिकांश कृषि श्रमिकों, सीमांत और छोटे भूस्वामियों को शामिल करने में विफल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 30 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार अनौपचारिक स्रोतों विशेषकर वैसे साहूकारों से ऋण लेते हैं, जो कि काफी अधिक ब्याज वसूलते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि श्रमिकों, सीमांत और छोटे भूस्वामियों के संबंध में वित्तीय समावेशन में सुधार लाने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) और (ख):** *सरकार प्रत्‍येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण संवितरण लक्ष्‍य निर्धारित करती है और बैंकों ने लगातार इन लक्ष्‍यों को पार किया है। राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई* सूचनानुसार, पिछले तीन वर्ष (2014-15 से 2016-17) के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कृषि ऋण *लक्ष्‍य और बैंकों द्वारा प्राप्‍त उपलब्धियों का ब्‍यौरा निम्‍न प्रकार है:*

|  |
| --- |
| ***कृषि ऋण लक्ष्‍य और उपलब्धियां*** |
|  |  |  **(राशि करोड़ रूपए में)** |
| **वर्ष** | **भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्‍य** | ***उपलब्धि*** | **लक्ष्‍य प्राप्ति की प्रतिशतता** |
| **2014-15** | 8,00,000.00 | 8,45,328.23 | 105.67 |
| **2015-16** | 8,50,000.00 | 9,15,509.92 | 107.71 |
| **2016-17** | 9,00,000.00 | 10,65,755.67 | 118.42 |

 नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किसानों को संवितरित कृषि ऋण (खातों की संख्या तथा राशि) का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ग) से (ड.):** धन उधार देने संबंधी कार्यकलापों का विनियमन धन उधार देने संबंधी राज्य विशिष्ट कानून के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने जुलाई 2012-जून 2013 के कृषि वर्ष की संदर्भ अवधि के संबध में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए एनएसएस 70वें राउंड (जनवरी 2013-दिसम्बर 2013) के दौरान कृषक परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया था, जिसमें निम्नलिखित बातें सामने आई:-

 देश में लगभग 52% कृषक परिवारों के ऋणग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया था। समग्र भारत के स्तर पर लगभग 60% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों से लिया गया था, जिसमें सरकार (2.1 प्रतिशत), सहकारी सोसाइटी (14.8 प्रतिशत) तथा बैंक (42.9 प्रतिशत) शामिल हैं।

 सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा छोटे तथा सीमांत किसानों एसएफ तथा एमएफ) सहित अधिकाधिक किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे तथा सीमांत किसानों सहित किसानों को बाधामुक्त फसल ऋण प्रदान करने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* आरबीआई के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्‍यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटार्इदार किसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्‍य भी विनिर्धारित किया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनके कुल बकाया अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्र के लिए तथा छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है।
* किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है। इसके अलावा, किसानों द्वारा फसलों की मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्डधारक छोटे तथा सीमांत किसानों को फसल ऋण के लिए उपलब्ध ब्याज दर पर ही वेयरहाऊसिंग विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा अनुमोदित वेयर हाऊसों में कटाई के पश्चात अपनी ऊपज रखने पर प्राप्त परक्राम्य वेयर हाऊस रसीदों के बदले छ: माह की अवधि तक ब्याज छूट के लाभ दिए जाते हैं।
* बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने हेतु किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने के लिए सरकार ने केसीसी योजना आरंभ की है, ताकि किसान इनका प्रयोग कृषि निविष्‍टि‍यों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, आदि खरीदने तथा उत्पादन संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद राशि के आहरण के लिए कर सकें।
* किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत, सीमांत किसानों को भूमि धारिता के आधार पर और कटाई के बाद भंडारण (वेयर हाउस) से संबंधित ऋण आवश्‍यकताओं सहित उगाई गई फसलों और कृषि कार्य संबंधी अन्य व्यय, उपभोग आवश्‍यकताओं, इत्‍यादि के साथ-साथ लघु अवधि ऋण निवेशों के लिए भूमि के मूल्‍य पर ध्‍यान दिए बिना 10,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की लचीली ऋण सीमा (फ्लेक्‍सी केसीसी के रूप में) उपलब्ध कराई गई है।
* आरबीआई ने बैंकों से 1,00,000/- रूपए तक के कृषि ऋणों को मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से मुक्‍त रखने को कहा है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बंटाईदार किसानों तथा उन जैसे अन्‍य लोगों के लिए 50,000/- रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए भी बेबाकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता से छूट दी गई है और इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल स्व-घोषणा प्राप्‍त करने की आवश्यकता है।
* छोटे, सीमांत, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है। जेएलजी के जरिए वित्तपोषण का एक मुख्य उद्देश्य काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार या बंटाईदार के रूप में खेती करने वाले भूमिहीन किसानों तथा छोटे/सीमांत किसानों और अन्य गरीब व्यक्ति, जो कृषि संबंधी कार्यकलाप, कृषि से इतर कार्यकलाप, गैर-कृषि कार्यकलाप करते हों, को ऋण का प्रवाह बढ़ाना है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में बैंकों द्वारा कुल 24.53 लाख संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) द्वारा 26,848.13 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।

नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कुल खातों में एसएफ/एमएफ खातों की हिस्सेदारी, जो वर्ष 2015-16 में 60.07 प्रतिशत थी, वर्ष 2016-17 में बढ़कर 72.06 प्रतिशत हो गई। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संवितरित राशि के संदर्भ में एसएमएफ की हिस्सेदारी 41.51 प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में) से बढ़कर 50.14 प्रतिशत (वर्ष 2016-17 में) हो गई। वास्तविक रूप में एसएफ/एमएफ के प्रति किया गया कृषि ऋण संवितरण वर्ष 2015-16 के 3.80 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 5.34 लाख करोड़ रुपए हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान एसएफ/एमएफ खातों की संख्या 5.40 करोड़ से बढ़कर 7.71 करोड़ हो गई।

\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **अनुबंध** |
| **वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कृषि ऋण का संवतिरण**  |
| **खातों की संख्या वास्तविक तथा राशि लाख रुपए में** |
| **क्रम सं.** | **राज्य**  | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **खातों की संख्या**  | **संवितरित राशि**  | **खातों की संख्या**  | **संवितरित राशि**  | **खातों की संख्या**  | **संवितरित राशि**  |
| 1 | दिल्ली  | 17,396.00 | 15,26,401.00 | 15687 | 554974.47 | 77,543.00 | 19,94,164.97 |
| 2 | हरियाणा  | 22,57,871.00 | 40,43,848.00 | 2277267 | 4979049.00 | 26,96,350.67 | 49,48,107.13 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश  | 2,95,634.00 | 4,96,412.00 | 269423 | 512193.53 | 6,91,478.50 | 6,11,614.56 |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर  | 63,580.00 | 76,600.00 | 148845 | 276146.16 | 6,46,358.00 | 7,29,674.06 |
| 5 | पंजाब  | 22,82,720.00 | 72,96,298.00 | 2631117 | 8465288.56 | 28,33,077.36 | 74,30,146.82 |
| 6 | राजस्थान  | 54,74,999.00 | 65,74,336.00 | 4896482 | 6762726.22 | 66,57,711.57 | 74,30,385.60 |
| 7 | चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र  | 5,203.00 | 2,33,992.00 | 4418 | 141536.00 | 7,667.58 | 1,40,594.60 |
|  | **उत्तरी क्षेत्र कुल**  | **103,97,403.00** | **202,47,887.00** | **10243239** | **21691913.94** | **136,10,186.70** | **232,84,687.75** |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश  | 5,126.00 | 4,991.00 | 4219 | 4282.18 | 7,966.82 | 13,258.66 |
| 9 | असम  | 4,28,930.00 | 2,75,103.00 | 336829 | 390547.53 | 10,34,269.19 | 6,10,207.41 |
| 10 | मणिपुर  | 23,087.00 | 15,255.00 | 22180 | 15867.18 | 27,657.02 | 25,112.17 |
| 11 | मेघालय  | 43,671.00 | 19,594.00 | 34202 | 15627.14 | 44,502.85 | 36,831.05 |
| 12 | मिजोरम  | 11,998.00 | 7,020.00 | 13735 | 9912.84 | 14,618.00 | 11,435.63 |
| 13 | नागालैण्ड  | 22,907.00 | 13,491.00 | 14180 | 11816.65 | 25,329.70 | 12,939.21 |
| 14 | सिक्किम  | 6,708.00 | 7,548.00 | 6615 | 7161.36 | 9,105.90 | 16,169.65 |
| 15 | त्रिपुरा  | 1,59,091.00 | 1,02,271.00 | 118020 | 128054.76 | 3,07,031.77 | 1,51,312.53 |
|  | **पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल**  | **7,01,518.00** | **4,45,273.00** | **549980** | **583269.64** | **14,70,481.26** | **8,77,266.32** |
| 16 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  | 6,385.00 | 6,647.00 | 8215 | 11184.38 | 15,429.90 | 13,498.20 |
| 17 | बिहार  | 31,01,884.00 | 22,86,388.00 | 2831383 | 4054231.00 | 45,07,384.46 | 26,18,458.38 |
| 18 | झारखण्ड  | 6,02,019.00 | 2,51,836.00 | 603072 | 366183.81 | 11,46,763.00 | 4,37,999.18 |
| 19 | ओडिशा  | 40,33,709.00 | 17,27,058.00 | 4446226 | 2028270.04 | 48,44,565.40 | 21,26,496.46 |
| 20 | पश्चिम बंगाल  | 75,69,033.00 | 37,29,373.00 | 7756071 | 3907458.44 | 47,89,338.80 | 34,89,572.32 |
|  | **पूर्वी क्षेत्र कुल**  | **153,13,030.00** | **80,01,302.00** | **15644967** | **10367327.67** | **153,03,481.56** | **86,86,024.55** |
| 21 | छत्तीसगढ़  | 13,36,207.00 | 7,87,201.00 | 1353924 | 767426.11 | 16,96,073.30 | 12,23,742.13 |
| 22 | मध्य प्रदेश  | 54,56,001.00 | 47,04,858.00 | 5555793 | 5210400.35 | 67,10,625.20 | 56,14,906.41 |
| 23 | उत्तराखण्ड  | 4,56,120.00 | 5,58,647.00 | 529876 | 586937.77 | 5,29,577.10 | 6,50,543.42 |
| 24 | उत्तर प्रदेश  | 86,95,344.00 | 72,61,136.00 | 8776810 | 8764167.01 | 99,41,603.00 | 81,58,401.41 |
|  | **मध्य क्षेत्र कुल**  | **159,43,672.00** | **133,11,842.00** | **16216403** | **15328931.24** | **188,77,878.60** | **156,47,593.37** |
| 25 | गोवा  | 53,429.00 | 77,731.00 | 2580 | 56711.46 | 51,581.30 | 1,01,127.66 |
| 26 | गुजरात  | 26,37,186.00 | 39,32,672.00 | 3646185 | 4456320.39 | 34,94,006.04 | 54,27,669.75 |
| 27 | महाराष्ट्र  | 62,12,729.00 | 66,82,129.00 | 7693334 | 6277679.78 | 81,86,013.20 | 81,38,383.63 |
| 28 | दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र  | 1,220.00 | 2,984.00 | 1342 | 2026.85 | 4,856.00 | 8,017.10 |
| 29 | दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र  | 1,302.00 | 2,605.00 | 1432 | 644.67 | 2,108.00 | 3,458.32 |
|  | **पश्चिमी क्षेत्र कुल**  | **89,05,866.00** | **106,98,121.00** | **11344873** | **10793383.15** | **117,38,564.54** | **136,78,656.47** |
| 30 | आन्ध्र प्रदेश  | 50,80,274.00 | 53,93,621.00 | 6055487 | 7413594.20 | 105,51,781.40 | 92,86,862.14 |
| 31 | तेलंगाना  | 28,72,302.00 | 30,51,666.00 | 3998305 | 3332568.03 | 58,92,594.39 | 67,88,535.43 |
| 32 | कर्नाटक  | 56,78,697.00 | 60,23,300.00 | 6161582 | 8483248.35 | 69,39,380.11 | 78,08,272.12 |
| 33 | केरल  | 63,47,486.00 | 57,20,901.00 | 6317920 | 4339237.06 | 64,37,362.60 | 67,73,876.45 |
| 34 | पुद्दुचेरी  | 23,81,196.00 | 15,93,012.00 | 135456 | 108155.84 | 6,17,429.00 | 5,29,008.42 |
| 35 | तमिलनाडु  | 117,12,580.00 | 100,22,577.00 | 13218880 | 9109362.38 | 156,28,723.37 | 132,14,456.68 |
| 36 | लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र  | 21,364.00 | 23,321.00 | 19228 | 0.00 | 527.00 | 327.30 |
|  | **दक्षिणी क्षेत्र कुल**  | **340,93,899.00** | **318,28,398.00** | **35906858** | **32786165.86** | **460,67,797.87** | **444,01,338.54** |
|  | **सकल योग**  | **853,55,388.00** | **845,32,823.00** | **89906320** | **91550991.50** | **1070,68,390.52** | **1065,75,567.01** |
| *स्रोत: नाबार्ड*  |